(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

172 - प्रतापगढ़ (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री हेमन्त मीणा

नि. गोपालपुरा पो. सिद्धपुरा तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.) जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान प्रतापगढ़ दिनांक 03-12-2023



(राजेश कुमार नायक)
रिटर्निंग अधिकारी
172 – प्रतापगढ़ (अ.ज.जा.)
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
रिटर्निंग ऑफिसर
(एस.डी.एम.)प्रतापगढ(राज.)

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 172 – PRATAPGARH (S.T.) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

SHRI HEMANT MEENA

ro. gopalpura po. siddhpura tehsil & district pratapgarh (raj.) sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Pratapgarh Dated: 03-12-2023



(Rajesh Kumar Nayak)
Returning Officer
172 – Pratapgarh (S.T.)
Legislative Assembly Constituency
रिटर्निंग ऑफिसर

(एस.डी.एम.)प्रतापगढ(राज.)